न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–संजय शर्मा

G.C.M.S. No. 2025/207

अपील संख्या 128 / 2025 तारीख रजू 24.11.2025

लक्ष्मण पुत्र गुलाब रेवारी निवासी ग्राम बालेर तहसील खण्डार, जिला सवाई माधोपुर। -- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार बहरावण्डा कला। ---- रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति –

श्री जयप्रकाश सैनी एडवोकेट – अपीलार्थी

पेरोकार राजस्व – रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांक 15.04.2026**

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार बहरावण्डाकलां द्वारा मिसल संख्या 11/2025 मे पारित आदेश दिनांक 18.09.2025 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम बालेर के आराजी खसरा नम्बर 452 रकबा 0.01 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ता पर संवत 2082 खरीफ मे अनाधिकृत रूप से जोत व बाड़ लगाकर कब्जा फसल काश्त/कब्जा कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को आराजी ख0नं0 452 रकबा 0.01 बीघा किस्म गै0मु0रास्ता पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए लगान 0.19 रूपये 50 गुना से शास्ति 10 रूपये कायम की जाती है एवं बेदखली हेतु पटवारी को लिखा जावे उक्त निर्णय रूह दर मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व तथ्यों से परे होने से निरस्तनीय है। यह कि हल्का पटवारी द्वारा गलत मौका रिपोर्ट ख0नं0 452 रकबा 1.13 बीघा वाके ग्राम बालेर तहसील खण्डार की गलत रिपोर्ट प्रार्थी/अपीलान्ट का गलत अतिक्रमण दिखाकर नायब तहसीलदार उपतहसील बहरावण्डाकलां को पेश किया है जिस पर प्रार्थी को नायब तहसीलदार द्वारा जारी किये गये नोटिस पर प्रार्थी ने उपस्थित होकर नायब तहसीलदार को जवाब दिनांक 16.09.2025 को पेश किया है जिसमें प्रार्थी द्वारा अपना 452 ख0न0 पर कभी कोई अतिक्रमण नहीं होने बाबत व वर्तमान में भी अतिक्रमण नहीं होने बाबत लिखा है लेकिन नायब तहसीलदार ने [illegible] नहीं किया और ना ही पुनः मौके की वास्तविक स्थिति जांच करवाई गई है। इस [illegible] अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। यह कि प्रार्थी/अपीलांट ने ख0नं0 452 [illegible] कोली पुत्र [illegible]रया कोली, मोती पुत्र गोपी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:13:25 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

दत्तक पुत्र ताराचन्द निवासी बालेर के द्वारा गै0मु0 रास्ता ख0नं0 452 पर फसल बुबाई कर अतिक्रमण कर रखा है जिसकी प्रार्थी ने कई बार संबंधित राजस्व अधिकारियों को शिकायत भी की है। बालेर हल्का पटवारी द्वारा अपने जाति के व्यक्ति छुट्टनलाल कोली व चतरूलाल कोली से मिलकर के गलत रिपोर्ट तैयार कर प्रार्थी का ख0नं0 452 पर अतिक्रमण होना बताया है जबकि प्रार्थी का उक्त खसरा नम्बर पर कभी भी अतिक्रमण नहीं रहा है। यह कि प्रार्थी के विरूद्ध गलत तरीके से 91 की कार्यवाही कर 91 की कार्यवाही की आड में प्रार्थी की खातेदारी तरमीम शुदा कृषि भूमि ख0नं0 457 व 458 वाके ग्राम बालेर तहसील खण्डार में कृषि विभाग की योजना के तहत संबंधित हल्का पटवारी व कृषि विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में अपनी खातेदारी सीमा में गाढे हुए गड्डूओं को तुडवा दिया है इसलिए न्यायालय टीम गठित कर वास्तविक मौका रिपोर्ट ख0नं0 452 को मंगवाये और टीम द्वारा ही ख0नं0 452 का सीमाज्ञान करवाया जावे एवं प्रार्थी के विरूद्ध किये गये निर्णय दिनांक 18.09.2025 को अपास्त फरमाया जावे। यह कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिकमी होने का कोई रिकार्ड नहीं है। ना ही पूर्व में पारित बेदखली है, इस कारण भी गलत रूप से अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिकमी माना है जो निरस्तनीय है। यह कि वर्तमान में भी ख0नं0 452 पर छुट्टनलाल कोली पुत्र हीरया कोली, मोती पुत्र गोपी दत्तक पुत्र ताराचन्द निवासी बालेर के द्वारा गै0मु0 रास्ता ख0नं0 452 पर फसल बुबाई कर अतिक्रमण कर रखा है। यह कि अदालत मातहत ने अपीलार्थी को बिना सुने व मौके की स्थिति का निरीक्षण किये बगैर सबूत व साक्ष्य पेश करने का अवसर ही नहीं दिया इसलिए निर्णय खिलाफ कानूनी होने से निरस्तनीय है। यह कि अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि पर ही प्रार्थी का कब्जा काश्त है खसरा नंबर 452 रकबा 0.01 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि पर प्रार्थी अपीलांट का कभी कब्जा नहीं रहा है गांव के अन्य लोगो का उक्त खसरा नम्बर पर कब्जा चला आ रहा है जिसकी अपीलांट ने सक्षम अधिकारियों को शिकायत की उससे नाराज होकर सम्बन्धित हल्का पटवारी ने प्रार्थी के विरूद्ध गलत रिपोर्ट पेश की है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बहरावण्डाकलां के निर्णय दिनांक 18.09.2025 की कतई जानकारी नहीं थी दिनांक 11.11.2025 को हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट को बताया गया कि तुम्हारे विरूद्ध धारा 91 में कार्यवाही की गई है एवं आदेश किया गया है तब प्रकरण की जानकारी हुई है जानकारी कर नकल हेतु प्रस्तुत कर दिनांक 12.11.2025 को नकल प्राप्त की तब अपीलान्ट को सर्वप्रथम उक्त निर्णय दिनांक 18.09.2025 की जानकारी हुई इससे पूर्व उक्त अपीलाधीन निर्णय की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम जानकारी होने तथा निर्णय की नकल प्राप्त होने से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। फिर भी डिले कन्डोन हेतु अपीलान्ट द्वारा भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अन्त में वकील अपीलांट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बहरावण्डाकलां के निर्णय दिनांक 18.09.2025 अपास्त करने का निवेदन किया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का [illegible] रखा जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:13:25 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलाण्ट स्वयं की तामील हुई है। अतः अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयानों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य जिसमें अपीलान्ट के संवत 2081 मे उक्त गै0मु0 रास्ते पर फसल सरसो कास्त करने पर मु0नं0 7/24 दर्ज कर निर्णय दिनांक 12.08.2024 के द्वारा बेदखली करने के आधार पर हो जाती है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित की गयी भूमि के संबंध में अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुदृढ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पूर्ववर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता हो और ना ही अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर से अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अदालत मातहत द्वारा पारित किये गये निर्णय मे किसी प्रकार की अनियमितता नजर नही आती है तथा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 18.09.2025 यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:13:25 IST
Reason: SelfAttested